प्रेस विज्ञप्ति
02.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू एवं अन्य से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में शांतनु सिन्हा बिस्वास को 14.05.2026 को तथा बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को 19.05.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया है। शांतनु सिन्हा बिस्वास, पूर्व डीसीपी, कोलकाता पुलिस तथा सोना पप्पू को क्रमशः 15.05.2026 एवं 19.05.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, बिचार भवन, कोलकाता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने आगे की जांच हेतु ईडी को क्रमशः 14 दिनों एवं 10 दिनों की अभिरक्षा प्रदान की। ईडी अभिरक्षा की अवधि पूर्ण होने के पश्चात दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इससे पूर्व, ईडी ने इस मामले में जय एस. कामदार को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के अंतर्गत गिरफ़्तार किया था।

ईडी ने बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू एवं अन्य के विरुद्ध जांच की शुरुआत पश्चिम बंगाल पुलिस/कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज अनेक प्राथमिकी के आधार पर की। बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू सहित अभियुक्तगण पश्चिम बंगाल राज्य में संगठित आपराधिक सिंडिकेट गतिविधियों में संलिप्त थे तथा सिंडिकेट संचालन के माध्यम से अवैध रूप से भारी मात्रा में धन अर्जित कर रहे थे। बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू कोलकाता के गोलपार्क के निकट कांकुलिया रोड पर हुई हिंसा के एक मामले में भी पुलिस द्वारा वांछित था तथा फरार चल रहा था। ईडी द्वारा पूर्व में सोना पप्पू को समन जारी किए गए थे, तथापि वह पूर्व में जांच में शामिल होने में विफल रहा।

इससे पूर्व, ईडी ने 01.04.2026, 19.04.2026 तथा 26.04.2026 को बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू, श्री शांतनु सिन्हा बिस्वास, पूर्व पुलिस उपायुक्त, जय एस. कामदार आदि के आवासीय परिसर सहित कोलकाता एवं आसपास के क्षेत्रों में अनेक परिसरों पर तलाशी की कार्रवाई की थी तथा अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए थे।

जांच में यह उजागर हुआ कि जय एस. कामदार ने बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू के साथ संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किए थे। उसने सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की पत्नी श्रीमती सोमा सोनार पोद्दार को असला (फायर-आर्म्स) भी उपलब्ध कराए थे; तथापि, उन्होंने जय एस. कामदार अथवा उसकी कंपनी से उक्त असला (फायर-आर्म्स) की खरीद के संबंध में कोई जानकारी प्रकट नहीं की है। पूर्व में की गई तलाशी के दौरान सोना पप्पू, जय

एस. कामदार तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से संबद्ध परिसरों से लगभग 1.47 करोड़ रुपये की नकदी, स्वर्ण एवं रजत आभूषण, एक फॉर्च्यूनर वाहन, एक बिना लाइसेंस की बंदूक (रिवॉल्वर) तथा अनेक अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। भूमि, भवन आदि के रूप में अनेक अचल संपत्तियों की भी पहचान की गई, जो आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित की गई प्रतीत होती हैं।

पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच में यह उजागर हुआ है कि जय एस. कामदार का शांतनु सिन्हा बिस्वास सहित अनेक पुलिस अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संपर्क था तथा वह ऐसे अधिकारियों, उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के अनुचित लाभ एवं महंगे “उपहार” प्रदान करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि जय एस. कामदार का पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग के बीच पर्याप्त प्रभाव एवं रसूख था, जिसका उसने भूमि संबंधी मामलों में अपने पक्ष में अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा असंदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करवाने के लिए दुरुपयोग किया। जब्त किए गए दस्तावेजों एवं डिजिटल साक्ष्यों से यह प्रदर्शित होता है कि जय एस. कामदार तथा उसके सहयोगी विधिसम्मत मालिकों से मूल्यवान अचल संपत्तियों को अवैध रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से सुनियोजित एवं पूर्वनियोजित तरीके से आदतन ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।

इससे पूर्व, ईडी ने 19.04.2026 को पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास से संबद्ध परिसरों पर भी तलाशी की कार्रवाई की थी तथा अपराध संकेती दस्तावेज जब्त किए थे। उनके आवासीय परिसर पर की गई तलाशी के दौरान शांतनु सिन्हा बिस्वास उपलब्ध नहीं थे। तत्पश्चात, जांच में शामिल होने हेतु शांतनु सिन्हा बिस्वास को समन जारी किए गए, तथापि वह पूर्व में ईडी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे। जांच में यह उजागर हुआ है कि शांतनु सिन्हा बिस्वास कोलकाता पुलिस में पुलिस अधिकारी थे तथा पुलिस उपायुक्त (एसबी) के पद पर कार्यरत थे। यह प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए आर्थिक लाभ के बदले जय कामदार को उसकी अवैध गतिविधियों में सहायता प्रदान की। जांच में यह भी सामने आया है कि शांतनु सिन्हा पश्चिम बंगाल एवं कोलकाता पुलिस कल्याण समितियों (जो अब भंग की जा चुकी हैं) के मुख्य समन्वयक एवं नोडल अधिकारी थे, यह एक विशिष्ट पद था, जो बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों पर पर्याप्त प्रभाव स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता था।

पीएमएलए के अंतर्गत ईडी की जांच में अब तक यह उजागर हुआ है कि अपराध से अर्जित आय का सृजन बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू, जय कामदार तथा उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से जबरन वसूली, अचल संपत्तियों पर अवैध कब्जा तथा अनधिकृत भवन निर्माण सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों के जरिए किया गया था।

आगे की जांच जारी है।